

समाहरणालय, बक्सर
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 4041 दिनांक 6-12-2016 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना से आवंटन प्राप्त होने के प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा के अधीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत बक्सर जिला के भूमिहीन, निर्धन एवं भिक्षुक के बीच कम्बल (उनी) का वितरण किया जाना है। फलस्वरूप कम्बल(उनी) क्रय हेतु इच्छुक एजेन्सियों / फर्मों से मोहर बंद लिफाफा में अलग - अलग लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है। यह निविदा दिनांक 19.12.2016 के 02:00 बजे अपराह्न तक जिला पदाधिकारी के कार्यालय (जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग) में दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 19.12.2016 को ही अपराह्न 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपलब्ध रह सकते हैं।

:- निविदा की शर्तें :-

1. निविदादाता यदि कोई व्यक्ति / फर्म हो तो उसे बिक्री कर निबंधन प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को आयकर दाता होने का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से 5000.00 (पाँच हजार रु० मात्र) का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदादाता को उपर वर्णित विवरण के कार्यों के लिए आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री कम्बल(उनी) का नमूना साथ में लाना होगा। प्रत्येक नमूना पर दर अंकित होना चाहिए, जो वित्तीय निविदा में भी अंकित हो। वित्तीय निविदा में गुणवत्ता के अनुरूप कम्बल(उनी) का दर एवं वजन (कि०ग्रा०) अंकित करना होगा।
5. सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इस आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा कि कार्य में किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती की जा सकेगी।
6. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा। स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी। क्रय समिति द्वारा अनुमोदित नमूना का दर एवं वजन (कि०ग्रा०) के आधार पर आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री के गुणवत्ता के जाँचोपरान्त आपूर्ति आदेश दिया जाएगा।

विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट www.buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी, 8.12.16
बक्सर